संदीप कुमार और अन्य बनाम आतमप्रकाश और अन्य (न्यायमूर्ति राजबीर सेहरावत)

न्यायमूर्ति राजबीर सेहरावत के समक्ष,

संदीप कुमार और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

आतमप्रकाश और अन्य- प्रतिवादी

एफ. ए. ओ. संख्या 8627 का 2015

20 दिसंबर, 2017

एःमोटर वाहन अधिनियम 1988, के खंड 147,149 और 170-केवल नकली या ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है-बीमा कंपनी को यह साबित करने की आवश्यकता है कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने में उचित देखभाल करने में विफल रहा।

मान लिया कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की खंड 149 के तहत बीमा कंपनी को उपलब्ध बचाव के संबंध में प्रस्ताव को निपटाने के लिए इस मामले को वैचारिक स्तर पर लिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पहले और शुरुआती पैरा में इसका बहुत स्पष्ट रूप से अवलोकन किया है।मोटर वाहन अधिनियम की खंड 149 की व्याख्या करते हुए, निर्णय के पैरा 105 में, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि केवल लाइसेंस की अनुपस्थिति में, केवल लाइसेंस की नकल, केवल ड्राइविंग लाइसेंस की अमंत्या या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए चालक की अयोग्यता स्वयं बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं।इसके अलावा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि ये कारक मालिक के खिलाफ या तीसरे पक्ष के खिलाफ बचाव के रूप में उपलब्ध नहीं होंगे।खंड 149 का लाभ उठाने के लिए, बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा।दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को यह साबित करने का कर्तव्य दिया है कि मालिक ने चालक को नियुक्त करने के समय लापरवाही की थी या उसने यह देखने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया था कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है।चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के बारे में मालिक को लाइसेंस प्राधिकरण से सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मालिक की ओर से लापरवाही और उचित देखभाल की कमी को साबित करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता

पर होगी।हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह किसी विशेष तरीके से यह निर्धारित नहीं कर रहा है कि इस प्रमाण का भार बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि भले ही बीमाकर्ता वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने या चालक की अयोग्यता की शर्त के संबंध में बीमाकृत की ओर से पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को साबित करने में समर्थ हो, तब भी बीमाकर्ता को बीमाकृत के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी; जब तक कि उक्त उल्लंघन इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान देता हुआ पाया जा। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सवाल कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि क्या चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस कानून की आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(पैरा 14)

बीःमोटर वाहन अधिनियम, 1988-मुआवजे का दावा करने के हकदार व्यक्ति-यह मृतक पर "आश्रित" नहीं है बल्कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधि हैं-माता-पिता और पत्नी मुआवजे के हकदार हैं)

केवल यह तथ्य कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी है और लाइसेंस नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, स्वयं लाइसेंस को अमान्य या नकली नहीं बना सकता है।यहां तक कि यह तथ्य कि व्यक्ति सामान्य रूप से उस क्षेत्र में नहीं रह रहा है जहाँ से लाइसेंस जारी किया गया है; लाइसेंस को नकली और अमान्य नहीं बनाएगा क्योंकि खंड 9 (2) एक और संभावना भी प्रदान करती है कि एक व्यक्ति उस स्थान से लाइसेंस प्राप्त कर सकता है जहाँ से उसने ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है या ड्राइविंग स्कूल में भाग लिया है।वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उक्त चालक ने नागालैंड से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था।इसके विपरीत, उन्होंने अपनी गवाही के मुख्य भाग में (एग्जामिनेशन इन चीफ) में ही बयान दिया है कि वे नागालैंड गए थे। पर्तिवादियो के लिए विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क कि गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके पास नागालैंड के निवास का प्रमाण नहीं है; भी अप्रासंगिक है।लाइसेंस जारी किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिखाया जाता है।   हालाँकि लाइसेंस पर हरियाणा राज्य का एक विशेष पता भी विधिवत उल्लेख किया गया है।बीमा कंपनी ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर हरियाणा का पता गलत तरीके से कैसे लिखा गया है या यह कि इसे जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा नहीं लिखा गया था।

(पैरा 17)

अमित कुमार जैन, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

जे. पी. जांगड़ा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

रजनीश मल्होत्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) 332

राजबीर सहरावत, जे। (मौखिक) (ORAL)

(1) यह निर्णय दो अपीलों अर्थात 2015 की एफ. ए. ओ. संख्या 8627 और 2015 की एफ. ए. ओ. संख्या 8628 का निपटारा करेगा।

(2) दोनों अपीलें उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रेवाड़ी द्वारा पारित सामान्य निर्णय को इस हद तक चुनौती देते हुए दायर की गई हैं कि उसने बीमा कंपनी को उसके द्वारा दी गई राशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया था।

(3) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदारों द्वारा याचिकाओं में दावा किए गए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 08.08.2013 को, जब दावेदार मोटर साइकिल पंजीकरण नंबर एचआर-36-एच/3996, पर अपने गाँव करनावास जा रहे थे। , इस मोटर साइकिल को इंडिका कार पंजीकरण नंबर एचआर-47-बी/6322 ने टक्कर मार दी, दावा याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रहीं थी ! दुर्घटना में दावेदार घायल हो गए और उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल, रेवाड़ी ले जाया गया।वहाँ से, घायल राकेश को डॉ. अमनदीप अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर, रेवाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया और आत्म प्रकाश को मेडिसिटी अस्पताल, गुड़गांव ले जाया गया।इसके कारण, घायल दावेदारों द्वारा दो अलग-अलग दावा याचिकाएं दायर की गईं।

(4) दावा याचिका में, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने वहां पंजीकरण संख्या HR-47-बी/6322 से सम्बन्धित दुर्घटना के तथ्य से इंकार करते हुए लिखित बयान दायर किया था।प्रतिवादी संख्या 3-बीमा कंपनी ने जानकारी के अभाव में दुर्घटना से इनकार करते हुए अलग से लिखित बयान दायर किया। आगे यह भी दलील दी गई कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।मोटर वाहन अधिनियम की खंड 147,149,157 और खंड 170 के तहत दिए गए अन्य बचाव भी लिए गए।

(5) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड को देखने के बाद, न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया। 20,88,400/--आत्म प्रकाश द्वारा दायर दावा याचिका में जिससे FAO-8627-2015 सामने आया

है।इसी तरह, रुपये की राशि। 1,10,600-राकेश कुमार द्वारा दायर एक अन्य दावा याचिका में दिया गया था जिससे FAO-8628-2015 उत्पन्न हुआ है।

(6) हालांकि, अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने के दायित्व से निपटने के दौरान, न्यायाधिकरण ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, Ex.R-4, जो नागालैंड से जारी किया गया है, के केवल अवलोकन से पता चलता है कि यह मनगढ़ंत दस्तावेज है और इसलिए, उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी भुगतान करने के दायित्व से मुक्त है।भुगतान करने की देयता वाहन के मालिक पर तय की गई थी।

(7) मामले में बहस करते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस एक वास्तविक दस्तावेज साबित हुआ है।उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वाहन के चालक को स्वयं बीमा कंपनी द्वारा गवाह के रूप में बुलाया गया है।चालक ने लाइसेंस, Ex.R4 रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया है।केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नागालैंड से जारी किया गया है, यह साबित नहीं करता है कि यह एक नकली लाइसेंस है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालक ने बयान दिया है कि वह नागालैंड गया था।इसके अलावा, चालक ने बयान दिया है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और उसने उसी की प्रति रिकॉर्ड में पेश की।इसके अलावा, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस मनगढ़ंत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है; क्योंकि प्राधिकरण से किसी भी व्यक्ति की जांच नहीं की गई है, जिसने यह ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है।न ही बीमा कंपनी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई अन्य सबूत दिया गया है कि यह दस्तावेज़ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था या यह कि यह एक नकली दस्तावेज़ है।

(8) इसके अलावा, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही यह तर्क के लिए माना जाए कि यह एक नकली दस्तावेज है, फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार रिपोर्ट किया गया है।राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य 1; यह बीमा कंपनी के लिए या तो तीसरे पक्ष के खिलाफ या बीमित व्यक्ति/मालिक के खिलाफ उपलब्ध बचाव नहीं है।खंड 149 के तहत वैधानिक दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि मालिक ने लापरवाही की थी और चालक को यह देखने के लिए नियुक्त करते समय उचित देखभाल नहीं की थी कि चालक के पास वैध लाइसेंस है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीमा कंपनी ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को चालक के रूप में नियुक्त करने के समय उचित सावधानी नहीं बरती थी या अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को चालक के रूप में नियुक्त करने के समय लापरवाही की थी।

(9) दूसरी ओर, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बीमा कंपनी ने उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक की जांच की है।हालाँकि, उन्होंने लाइसेंस, ExR4 पेश और साबित किया है।, हालांकि, उसके बयान से पता चलता है कि यह लाइसेंस, सभी संभावनाओं में, एक नकली दस्तावेज है।प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रभावित किया है कि इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह नहीं जानता कि नागालैंड के लाइसेंस प्राधिकरण का कार्यालय कहाँ स्थित है।उसने स्वीकार किया है कि वह 2014 में नागालैंड गया था, जबकि लाइसेंस 2010 में जारी किया गया था।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि चालक ने स्वीकार किया है कि उसके पास

1 2004 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 114

नागालैंड में स्थायी निवास का कोई भी प्रमाण नहीं है।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लाइसेंस हरियाणा के निवास पर जारी किया गया है, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत, उस क्षेत्र से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है जहां व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।

(10) अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई बाद के फैसलों में विचार किया गया है।हालाँकि, वह मूल रूप से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है।2. यह उनका निवेदन है कि यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि लाइसेंस नकली है तो नवीनीकरण बाद में इसे मान्य नहीं कर सकता है।इसके अलावा, इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में, बीमा कंपनी को पहली बार में राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन अगर सलाह दी जाए तो वह मालिक से उसी राशि की वसूली कर सकती है।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि मालिक यह बताने के लिए मामले में पेश नहीं हुआ था कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 को नियुक्त करते समय उचित और उचित देखभाल की थी।इसलिए, बीमा कंपनी को प्रतिवादी संख्या 1 को नियुक्त करते समय अपनी ओर से लापरवाही या देखभाल की कमी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

(11) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की समर्थ सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें कायम रखने योग्य हैं।विवाद की सराहना करने के लिए, स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) में निर्धारित कानून और लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (सुपरा) के मामले में इसके बाद के स्पष्टीकरण का संदर्भ होना उचित है।स्वर्ण सिंह मामले (सुपरा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"105. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार हैः

i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय 11 जो तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ वाहनों का अनिवार्य बीमा प्रदान करता है, मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे द्वारा राहत देने के लिए एक सामाजिक कल्याण कानून है।सभी वाहनों के अनिवार्य बीमा कवरेज के प्रावधान इस सर्वोपरि उद्देश्य के साथ हैं और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए ताकि उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके।

2 2007(2) आर. सी. आर. (सिविल) 345

ii) बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, के खंड163 ए या खंड 166 के तहत दायर दावा याचिका अन्य बातों के साथ साथ बचाव करने का हकदार है,1988 अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की भंग 149 (2) (ए) (ii) के संदर्भ में !

iii) पालिसी के सरतो का उल्लंघन, जैसे ड्राइवर की अयोग्यता या ड्राइवर का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस खंड 149 के उप खंड (२) (ऐ) (यू) में निहित हैं , को दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा यह साबित करना होगा अन्य बातों के साथ साथ बीमाकर्ता द्वारा केवल अनुपस्थिति , नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या संबंधित समय पर गाड़ी चलाने के लिए चालक की अयोग्यता, बीमाकृत या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं।बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक या संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा।

iv) हालांकि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से 'उल्लंघन 'के सबूत भी स्थापित करना चाहिए।

v) न्यायालय इस बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है कि उक्त बोझ का निर्वहन कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

vi) यहां तक कि जहां बीमाकर्ता बीमाकृत की ओर से चालक द्वारा वैध लाइसेंस रखने या संबंधित अवधि के दौरान गाड़ी चलाने की अपनी योग्यता के संबंध में पॉलिसी की शर्त के बारे में उल्लंघन साबित करने में समर्थ है, बीमाकर्ता को अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन या उक्त उल्लंघन इतना मौलिक न

हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान दिया हो।पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या करने में न्यायालय अधिनियम की खंड 149 (2) के तहत बीमित व्यक्ति को उपलब्ध बचाव की अनुमति देने के लिए "मुख्य उद्देश्य का नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा को लागू करेंगे।

vii) यह सवाल कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि क्या चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस, (नकली या अन्यथा), को पूरा नहीं करता है।

प्रत्येक मामले में कानून की आवश्यकताओं को निर्धारित करना होगा या नहीं।

viii) यदि दुर्घटना के समय कोई वाहन लर्नर लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा चलाया गया था, तो बीमा कंपनियां डिक्री को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

ix) खंड 165 के साथ पठित खंड 168 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण को मोटर वाहन के उपयोग में होने वाली मौत या शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में सभी दावों पर निर्णय लेने का अधिकार है।न्यायाधिकरण की उक्त शक्ति एक तरफ दावेदार या दावाकर्ताओं और दूसरी तरफ बीमित, बीमाकर्ता और चालक के बीच दावों पर निर्णय लेने तक सीमित नहीं है।मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने और बीमाकर्ता के लिए बचाव या बचाव की उपलब्धता तय करने के क्रम में, न्यायाधिकरण के पास बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच के विवादों को तय करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र आवश्यक रूप से है।दावेदारों द्वारा मुआवजे के लिए दावे के निर्णय के दौरान बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच दावों और विवादों पर दिया गया निर्णय और उस पर दिया गया पुरस्कार उसी तरह से लागू करने योग्य और निष्पादित करने योग्य है जैसे दावेदारों के पक्ष में पुरस्कार के प्रवर्तन और निष्पादन के लिए अधिनियम की खंड 174 में प्रदान किया गया है।

x) जहां अधिनियम के तहत दावे के निर्णय पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीमाकर्ता ने उप-खंड (7) के साथ पठित खंड 149 (2) के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक रूप से अपना बचाव साबित कर दिया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर व्याख्या की गई है, न्यायाधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता मुआवजे और अन्य राशियों के लिए बीमाकृत द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है जो उसे न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है।न्यायाधिकरण द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण लागू करने योग्य होगा और बीमित व्यक्ति से बीमाकर्ता को देय राशि न्यायाधिकरण द्वारा कलेक्टर को जारी किए गए प्रमाण पत्र पर उसी तरह से वसूल की जाएगी जैसे अधिनियम की खंड 174 के तहत भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में।भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में वसूली के लिए प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब अधिनियम की खंड 168 की उप-खंड (3) के

अनुसार बीमित व्यक्ति न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में दी गई राशि जमा करने में विफल रहता है।

xi) उप-खंड (4) में उसके अधीन परन्तुक और उप-खंड (5) में निहित प्रावधान, जिनका उद्देश्य बीमाकृत की ओर से बीमाकृत की ओर से बीमा अनुबंध के तहत भुगतान की गई राशि की वसूली करने में बीमाकर्ता को सक्षम बनाने के लिए उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट आकस्मिकताओं को शामिल करना है, न्यायाधिकरण द्वारा सहारा लिया जा सकता है और बीमाकृत के खिलाफ बीमाकृत के दावों और बचाव के लिए उन्हें नियमित अदालत के समक्ष उपचार के लिए भेज दिया जा सकता है, ऐसे मामलों में जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उनके दावों का निर्णय पीड़ितों के दावों के निर्णय में देरी कर सकता है।"

(12) दूसरी ओर, लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (सुपरा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्थितियाँ सामने आती हैंः

1. स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) में निर्णय तीसरे पक्ष के जोखिमों के अलावा अन्य मामलों पर लागू नहीं होता है।

2. जहां मूल रूप से लाइसेंस नकली था, नवीनीकरण अंतर्निहित घातकता/(मृत्यु दर को) ठीक नहीं कर सकता है।

3. तीसरे पक्ष के जोखिमों के मामले में बीमाकर्ता को राशि की क्षतिपूर्ति करनी होती है और यदि ऐसा करने की सलाह दी जाती है तो बीमित व्यक्ति से उसी राशि की वसूली करनी होती है।

4. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अवधारणा अधिनियम की खंड 149 से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होती है।

(13) यह देखने के लिए भी प्रासंगिक है कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) के मामले में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, जबकि लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (उपरोक्त) के मामले में निर्णय दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था।

(14) स्वर्ण सिंह मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की खंड 149 के तहत बीमा कंपनी को

उपलब्ध बचाव के संबंध में प्रस्ताव को निपटाने के लिए इस मामले को वैचारिक स्तर पर लिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पहले और शुरुआती पैरा में इसका बहुत स्पष्ट रूप से अवलोकन किया है।मोटर वाहन अधिनियम की खंड 149 की व्याख्या करते हुए, निर्णय के पैरा 105 में, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि केवल लाइसेंस की अनुपस्थिति में, केवल लाइसेंस की नकल, केवल ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए चालक की अयोग्यता स्वयं बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं।और भी आगे, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि

ये कारक मालिक के खिलाफ या तीसरे पक्ष के खिलाफ बचाव के रूप में उपलब्ध नहीं होंगे।खंड 149 का लाभ उठाने के लिए, बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा।दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को यह साबित करने का कर्तव्य दिया है कि मालिक ने चालक को नियुक्त करते समय लापरवाही की थी या उसने यह देखने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया था कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है।चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के बारे में मालिक को लाइसेंस प्राधिकरण से सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मालिक की ओर से लापरवाही और उचित देखभाल की कमी को साबित करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होगी।यद्यपि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं कर रहा है जिसमें बीमा कंपनी द्वारा इस प्रमाण का भार वहन किया जाएगा, तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि भले ही बीमाकर्ता वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने या चालक की अयोग्यता की शर्त के संबंध में बीमाकृत की ओर से पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को साबित करने में समर्थ है, फिर भी बीमाकर्ता को बीमाकृत के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी; जब तक कि उक्त उल्लंघन इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान दिया गया हो।हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सवाल कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि क्या चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस कानून की आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(15) दूसरी ओर, लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (ऊपर) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) का तीसरे पक्ष के जोखिम के अलावा अन्य मामलों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह निर्धारित किया है कि तीसरे पक्ष के मामले में, बीमाकर्ता को राशि की क्षतिपूर्ति करनी होगी और यदि ऐसा है तो बीमित व्यक्ति से उसी राशि की वसूली करने की सलाह दी जाती है।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि मूल लाइसेंस नकली था, तो उसका नवीनीकरण बाद में इसे मान्य नहीं कर सकता है।

(16) उपरोक्त व्याख्या की गई विधि का दृष्टिकोण, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, बीमा कंपनी के नेतृत्व में सबूत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मालिक उचित रूप से मेहनती नहीं था या जब उसने प्रतिवादी संख्या 1 को चालक के रूप में नियुक्त किया था, तब मालिक ने लापरवाही की थी।अपीलकर्ता की निर्भरता केवल वाहन चालक के बयान पर है।हालांकि, चालक ने खुद कहा है कि उसके पास लाइसेंस था।जिस क्षण, चालक इस तथ्य को प्रस्तुत करता है कि उसके पास लाइसेंस था; जो कम से कम, को दर्शाता है।

कि मालिक लापरवाही नहीं बरती हे और वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते समय उचित देखभाल करने में विफल नहीं हुआ है; जिसने अदालत के समक्ष यह भी स्वीकार किया कि उसके पास अपने रोजगार के समय ड्राइविंग लाइसेंस था।अन्यथा भी, इस गवाह की गवाही के पूर्ण अवलोकन से पता चलता है कि बीमा कंपनी इस तथ्य को भी साबित नहीं क्र पाई है कि यह ड्राइविंग लाइसेंस नकली है।अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने में सही है कि लाइसेंस की नकल, यदि कोई हो, तो बीमा कंपनी द्वारा व्यक्ति की जांच करके या इस लाइसेंस को जारी करने वाले प्राधिकरण से कुछ रिपोर्ट साबित करके साबित किया जा सकता था।किसी अन्य तथ्य के आधार पर कोई अन्य निष्कर्ष केवल बिना किसी आधार के लिया गया एक निष्कर्ष होगा; इस तथ्य के बारे में कि क्या विचाराधीन लाइसेंस, वास्तव में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था या नहीं।वर्तमान मामले में, चूंकि लाइसेंस प्राधिकरण से किसी की भी जांच नहीं की गई है और न ही लाइसेंस प्राधिकरण से कोई रिपोर्ट साबित हुई है, इसलिए बीमा कंपनी द्वारा लाइसेंस की नकलिता साबित नहीं की गई है।

(17) जहाँ तक प्रतिवादी सं. की गवाही से न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का संबंध है। 1, जहां तक प्रमाण पत्र के नकली होने का संबंध है; वे कानून में टिकाऊ नहीं हैं।केवल यह तथ्य कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी है और लाइसेंस नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, अपने आप में, लाइसेंस को अमान्य या नकली नहीं बना सका।यहां तक कि यह तथ्य कि व्यक्ति सामान्य रूप से उस क्षेत्र में नहीं रह रहा है जहाँ से लाइसेंस जारी किया गया है; लाइसेंस को नकली और अमान्य नहीं बनाएगा क्योंकि खंड 9 (2) एक और संभावना भी प्रदान करती है कि एक व्यक्ति उस स्थान से लाइसेंस प्राप्त कर सकता है जहाँ से उसने ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है या ड्राइविंग स्कूल में भाग लिया है।वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उक्त चालक ने नागालैंड से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था।इसके विपरीत, उन्होंने अपनी गवाही के मुख्य भाग में (एग्जामिनेशन इन चीफ)में ही बयान दिया है कि वे नागालैंड गए थे।प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क कि गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके पास नागालैंड के निवास का प्रमाण नहीं है; भी अप्रासंगिक है।लाइसेंस जारी किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिखाया जाता है।लाइसेंस पर हरियाणा राज्य का एक विशेष पता भी विधिवत

उल्लेख किया गया है।बीमा कंपनी ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर हरियाणा का पता गलत तरीके से कैसे लिखा गया है या यह कि इसे जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा नहीं लिखा गया था।

(18) प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि बीमा कंपनी को मालिक की ओर से लापरवाही या उचित देखभाल की कमी को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि मालिक ने खुद गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा हो और पहले यह बयान नहीं दिया हो कि उसने चालक को नियुक्त करते समय उचित देखभाल का प्रयोग किया था।हालांकि, यह

विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने को स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के किसी भी हिस्से से समर्थन नहीं मिलता है।बल्कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) में कहा गया है कि यह बीमा कंपनी की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह ड्राइवर को काम पर रखते समय मालिक की ओर से लापरवाही या उचित देखभाल की कमी को साबित करे, जिसका लाइसेंस नकली पाया गया है।बेशक, बीमा कंपनी को यह दिखाने के लिए कोई भी उचित तरीका अपनाने की स्वतंत्रता होगी कि मालिक ने लापरवाही की थी या चालक को नियुक्त करते समय उचित देखभाल नहीं की थी।

(19) जहाँ तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संबंध है, इस विषय पर कानून स्वर्ण सिंह के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

(20) जहाँ तक लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (सुपरा) में दिए गए निर्णयों का संबंध है, वही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) का निर्णय तीसरे पक्ष के दावों के जोखिम से संबंधित मामलों को नियंत्रित करेगा और यह स्वयं के नुकसान के दावों के मामलों में लागू नहीं होगा।इसलिए, यह निर्णय अपीलकर्ता को अपने तर्क में सफल होने का समर्थन नहीं करता है।लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि नकली लाइसेंस का बाद में नवीनीकरण कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगा, वर्तमान मामले में भी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि नकली लाइसेंस का बाद में नवीनीकरण किया गया था।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस फैसले में कहा गया है कि बीमाकर्ता के पास तीसरे पक्ष को भुगतान करने के बाद वसूली के अधिकार होंगे।हालाँकि, इस न्यायालय को इस तर्क में भी कोई सार नहीं मिलता है।स्वर्ण सिंह के मामले (सुपरा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाहन चलाने के लिए चालक की नकलता, अमान्यता, अयोग्यता बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध बचाव भी नहीं है; या तो बीमित व्यक्ति के खिलाफ या तीसरे पक्ष के खिलाफ।इसलिए, यदि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-बीमा कंपनी के लिए

केवल ड्राइविंग लाइसेंस का नकली होना भी एक बचाव उपलब्ध नहीं है, आत्यन्तिक रूप लाइसेंस के नकली होने के आधार पर बीमा कंपनी को अधिकारों की कोई वसूली देने का कोई सवाल ही नहीं है।लक्ष्मी नारायण दत्त के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू माना गया है, अपने नुकसान के मामलों में और तीसरे पक्ष के अधिकार के मामलों में नहीं।

(21) आगे कोई तर्क नहीं दिया गया।

(22) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को दोषमुक्त करने की सीमा तक पारित निर्णय निर्धारित किया गया है।

एक तरफ। बीमा कंपनी को दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।मालिक द्वारा दायर अपीलों की अनुमति है।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।

एंजेल शर्मा

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

संजय कुमार
3G161I
ट्रांसलेटर